DoIT

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

क्रमांकः– एफ.2(2974) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 14 /ML-2100 जयपुर, दिनांक 30/12/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री घनश्याम जोशी, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है :–

क्रं.सं.	परीक्षा का नाम
1.	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक 2018

श्री घनश्याम जोशी, सूचना सहायक को उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः–

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
3. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी / कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका सीानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा की तैयारी राज सेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक / कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9) / कार्मिक / क–3 / 2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

Sd/–

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, कार्यालय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
2. श्री घनश्याम जोशी, सूचना सहायक, कार्यालय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइड, वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
4. निजी / रक्षित पत्रावली।

30/12/2020

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)